

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2014/ ज्येष्ठ 6, 1936

No. 282]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2014/JYAISTHA 6, 1936

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 28 अप्रैल, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.िन. 362(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए), उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं 23 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. फेमा. 176/2008-आरबी द्वारा यथा संशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे 1 अप्रैल, 2013 से लागू समझे जाएंगे।@
- 2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी) (अब इसके आगे "मूल विनियमावली" के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात:-

- (i) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) में,
 - (ए) "बारह माह" शब्दों को "नौ माह शब्दों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (बी) तीसरे परंत्क में, "बारह माह" शब्दों को "नौ माह शब्दों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) विनियम 10 में, "बारह माह" शब्दों को "नौ माह शब्दों" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. फेमा. 302/2014-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, म्ख्य महाप्रबंधक

2197 GI/2014 (1)

पाद टिप्पणी:

- (1) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि.सं.409(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित दवारा संशोधित की गयी थी:
 - a. 21 मार्च, 2001 के सा. का. नि. सं. 199(अ),
 - b. 8 जुलाई, 2002 के सा. का. नि. सं. 473(अ),
 - c. 29 सितंबर, 2003 के सा. का. नि. सं. 773(अ),
 - d. 22 नवंबर, 2003 के सा. का. नि. सं. 900(अ),
 - e. 23 अप्रैल, 2004 के सा. का. नि. सं. 279(अ),
 - f. 8 जून, 2004 के सा. का. नि. सं. 352(अ),
 - g. 5 अगस्त, 2008 के सा. का. नि. सं. 576(अ),
 - h. 17 दिसम्बर, 2012 के सा. का. नि. सं. 896(अ)
 - i. 29 मई, 2013 के सा. का. नि. सं. 342 (अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department) (CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th April, 2014

Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA. 23/2000-RB dated May 3, 2000 as amended vide Notification No. FEMA. 176 /2008-RB dated July 23, 2008, Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:

1. Short Title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall deemed to have come into force on the 1st day of April, 2013.@

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 23/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter called "the principal regulations"), the following amendments shall be made, namely:-

- (I) in Regulation 9, in sub-regulation (1),
 - (a) for the words "twelve months", the words "nine months" shall be substituted.
 - (b) in the third proviso, for the words "twelve months", the words "nine months" shall be substituted.
- (II) in Regulation 10, for the words "twelve months", the words "nine months" shall be substituted.

[No. FEMA 302 /2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

- (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 409(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide
 - (a) G.S.R. No. 199(E) dated March 21, 2001
 - (b) G. S. R. No. 473(E) dated July 8, 2002
 - (c) G. S. R. No. 773(E) dated September 29, 2003
 - (d) G. S. R. No. 900(E) dated November 22, 2003
 - (e) G. S. R. No. 279(E) dated April 23, 2004
 - (f) G. S. R. No. 352(E) dated June 8, 2004
 - (g) G. S. R. No. 576(E) dated August 5, 2008
 - (h) G. S. R. No. 896(E) dated December 17, 2012
 - (i) G.S.R. No. 342(E) dated May 29, 2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054